आमिर सुबहानी भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
AMIR SUBHANI, I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel. : 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक –3 / एम०–08 / 2018सा0प्र0..10014....... /

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 20.06.2022

विषय– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवान्त लाभों की ससमय स्वीकृति सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3014 दिनांक–31.07.1980 द्वारा वार्धक्य पेंशन एवं मृत्यु–सह–पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को ससमय सेवान्तीय लाभ स्वीकृत किये जाने के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत है।

2. उक्त वर्णित निदेशों के बावजूद भी कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामने आए हैं जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवान्तीय लाभों के भुगतान में अतिशय विलम्ब हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कतिपय मामलों में इस संदर्भ में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। सरकार द्वारा भी इसे गम्भीरता से लिया गया है।

3. वर्णित स्थिति में लंबित सेवानिवृत्ति के मामलों के प्रसंग में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि–

(i) सभी विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत लंबित सेवान्तीय लाभों की स्वीकृति के मामलों की समीक्षा की जाय। समीक्षा में जिन मामलों में सेवान्तीय लाभ की स्वीकृति / औपबंधिक स्वीकृति नियमानुसार अनुमान्य हो, उन मामलों में शीघ्र स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाय। जिन मामलों में नियमानुसार सेवान्तीय लाभ अनुमान्य नहीं हो,

उन मामलों में एक तार्किक आदेश पारित किया जाय और आदेश की प्रति संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह कार्रवाई इस परिपत्र के निर्गमन की तिथि से 03 महीने के अन्दर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) जिन मामलों में आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि के कारण सेवानिवृत्ति के समय सेवान्तीय लाभों की स्वीकृति नियमानुसार अनुमान्य न हो, उन मामलों में नियमानुसार औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति सुनिश्चित किया जाय।

4. कृपया अपने अधीनस्थों को भी उक्त निदेश का अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

20.6.22

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार